



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180426

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30389 / 2026

मुस्तफा और 2 अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

आशुतोष मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 155/2026, धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना- दुमरियागंज, जिला- सिद्धार्थनगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी मृतक के बहनोई हैं, जिनकी छत से गिरने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई। आगे यह भी बताया गया है कि दुर्घटना के तुरंत बाद मृतक को निकटतम सामुदायिक केंद्र और फिर गोरखपुर के मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शव विच्छेदन रिपोर्ट से पता चलता है कि यह आकस्मिक गिरने या किसी कठोर सतह से टकराने के कारण लगी चोटों का मामला है। आगे यह भी बताया गया है कि घटनास्थल के नक्शे और गवाहों के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि मृतक के पति के खिलाफ मारपीट का विशेष आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी मृतक के बहनोई हैं और अलग रह रहे हैं। उन पर सामान्य आरोप लगाकर उन्हें झूठा फंसाया गया है। अंत में यह निवेदन किया जाता है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 3 जुलाई 2026 से जेल में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765)** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थीगण- **मुस्तफा, सरफराज और मोहम्मद अयूब** को संबंधित न्यायालय के समाधान हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उतनी ही राशि की दो-दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसका सत्यापन संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को सिद्धार्थनगर जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा और विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत मंजूरी की नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023 को लिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026 को लिया गया था।

13. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निस्तारण कर दिया गया है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

ए.के.आर.